रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2007/आश्विन 2, 1929
No. 279] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2007/ASVINA 2, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

सं.10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.— केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 'केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2007' नामक शीर्षक की भारत सरकार की 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 10(3)/2007डीबीए-II/एनईआर में निम्नलिखित सूची, जिसमें मुख्य भाग से छूटी सूचनाएं दी गई हैं, को अधिसूचित करती है:-

2. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (च) (घ) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

4(च) (घ) इस योजना के प्रयोजनार्थ पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के तहत आने वाली सभी इकाइयों को 'औद्योगिक इकाई' माना जायेगा। चूंकि ये इकाइयां किन्हीं विनिर्माण कार्यकलापों में लगी हुई नहीं हैं अतः इस योजना के अन्तर्गत लाभों/प्रोत्साहनों हेतु उनकी पात्रता के प्रयोजनार्थ उनके संचालित/कार्यशील होने की तिथि उनके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख को माना जायेगा।

3. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (च)(ङ) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

4(च) (ङ) इस योजना के अन्तर्गत पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के बारे में इस योजना के प्रयोजनार्थ पात्र राजसहायता की राशि का निर्धारण करने के लिए, यदि कोई हो, नीचे प्रत्येक क्षेत्र के सामने यथा दर्शाये अनुसार "संघटकों"/"मदों" को ध्यान में रखा जायेगा:

I. सेवा क्षेत्र

(i) **होटल ('दो सितारा' श्रेणी से कम नहीं)**: भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और उपभोज्य और प्रयोज्य को छोड़कर सभी मदों की लागत जो होटल चलाने के लिए मूल हैं।

(ii) **रोपवे सहित जोखिम तथा फुरसत के खेल**: परियोजना को शुरू करने के लिए जरूरी मदों/अव्यवों (भूमि के अलावा) की सम्पूर्ण लागत।

(iii) **नर्सिंग होम (न्यूनतम 25 बिस्तरों की क्षमता सहित)**: भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और आपात कालीन सेवाओं, सामान्य सर्जरी मातृत्व सुविधाओं, पेथोलोजी, रेडियोलोजी, ई.सी.जी., एम्बुलेंस से संबंधित अन्य उपकरणों की लागत, लेकिन उपभोज्य व प्रयोज्य वस्तुओं को छोड़कर।

(iv) **वृद्धाश्रम**: इमारत के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) और चिकित्सीय देखभाल के अन्य उपकरण जैसे आक्सीजन सिलिंडर्स, चूषण यंत्र, व्हील चेयर्स, मनोरंजन के उपकरण जैसे-टेलीविजन, विडियो प्लेयर्स, इंटरनेट कनेक्शनों सहित कंप्यूटर, पुस्तकें, क्रीड़ा-कार्यकलाप सामग्री जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, विलियर्ड्स, कार्ड टेबल्स आदि।

(v) **निम्नलिखित के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान**:

- होटल प्रबंधन
- कैटरिंग और फूडक्राफ्ट
- उद्यमिता विकास
- नर्सिंग और पैरामेडिकल
- नागर विमानन संबंधी प्रशिक्षण
- फैशन
- डिजाइन
- औद्योगिक प्रशिक्षण

इन सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) सभी उपकरणों, कार्यालय मशीनों और इस तरह की अन्य विद्युत यान्त्रिक अथवा इलेक्ट्रोनिक उपकरणों/साज-सामान की लागत जो सीधे प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित हो और जिनमें कक्षा उपकरणों, मशीन कक्ष उपकरणों, प्रयोगशाला उपकरणों और आवश्यक फर्नीचर तथा फिक्सचर की लागत शामिल है किन्तु उपभोज्य और डिस्पोजेबल सामग्रियों/संघटकों की कीमत शामिल नहीं है, को ध्यान में रखा जायेगा।

II. जैव प्रौद्योगिकी उद्योगः

प्रयोगशाला में जैव तकनीक प्रक्रिया(ओं) के संचालन हेतु, प्रायोगिक अथवा व्यावसायिक पैमाने पर, आवश्यक उपकरण, सहायक सामगी, अतिरिक्त पुर्जे, और उन्हें पर्याप्त रूप से रखने के लिए आवश्यक नागरिक ढांचागत सुविधाओं को सामूहिक रूप से "संयंत्र और मशीनरी" के रूप में परिभाषित किया जायेगा (भूमि की लागत को छोड़कर)। तथापि, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया(ओं) के लिए अपेक्षित विलायक, रसायन, अभिकर्मक और अन्य उपभोज्य इसमें शामिल नहीं हैं।

III. विद्युत जनित्रण करने वाले उद्योगः

"विद्युत स्टेशन के जनित्रण करने वाले संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में संयंत्र के संचालन के लिए स्थल पर स्थापित और अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी की लागत को ध्यान में रखा जायेगा, जिसमें भूमि की लागत को छोड़कर, मुख्य संयंत्र, कोई भवन संबद्ध प्रणाली, सहायक उपकरणों, औजारों और प्रारम्भिक अतिरिक्त पुर्जों की लागत शामिल होगी।

(क) स्टेप-अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल या अन्य सम्बद्ध उपकरणों, यदि कोई हों, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा, किन्तु इसमें कोई भी उपकेंद्र शामिल नहीं होगा।

(ख) ऐसी राख (ऐश) निपटान प्रणाली, किसी स्थल पर रेलवे साइडिंग या कच्चे माल/ईंधन को लाने-ले जाने या वहन हेतु मैरी-गो-राउण्ड प्रणाली जिनमें बिजली का उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन एकक द्वारा होता हो, में होने वाले निवेश पर उस सीमा तक ध्यान दिया जाएगा जहां तक वे राख या कच्चे माल/ईंधन अथवा अन्य सम्बद्ध उपकरण, यदि कोई हों, को लाने-ले जाने हेतु वास्तव में प्रयोग किए जाते हों।

(ग) ऐसी बांध और जलाशय विनियमन प्रणाली (हॉइस्ट और गेट आदि), हेड एण्ड टेल जल संचालक प्रणाली या ई.ओ.टी. क्रेन अथवा अन्य उपकरण, यदि कोई हों, जिनमें बिजली का उत्पादन विद्युत उत्पादन एकक में जल शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता हो, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा।"

(घ) संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में कार्यशील पूंजी, जिसमें कच्चे माल/ईंधन और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की लागत शामिल हैं, को छोड़ दिया जाएगा।

{राजसहायता हेतु पात्र राशि का निर्धारण करने के लिए केवल सेवा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और विद्युत सृजन उद्योगों की अनिवार्य मदों को स्वीकृति दी जाएगी}

टिप्पण :

(1) परियोजना की लागत से संबंधित सभी हस्तान्तरण चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से होने चाहिए।

(2) एकक द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना के सभी खर्चे/लागत एक पंजीकृत चार्टेड अकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित होने चाहिएं।

(3) भवन निर्माण की योजना और भवन निर्माण की लागत एक पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

(4) भवन निर्माण की लागत सी.पी.डब्ल्यू.डी. के समय-समय पर यथा-निर्धारित मूल्यों/मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।

(5) भवन निर्माण सम्बद्ध प्राधिकरण के निर्धारित मानदण्डों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए।

(6) यदि किसी एकक विशेष के ढाँचे का निर्माण पहले से ही मौजूद किसी भवन में से ही किया जाए तो ऐसे में राजसहायता की मात्रा का निर्धारण करते समय केवल उस ढाँचे पर ही ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भवन की लागत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हॉलाकि ऐसे ढाँचे में केवल अपेक्षित नवीकरण/परिवर्तन पर किए गए व्यय पर ध्यान दिया जाएगा।

(7) एकक स्थापित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।

(8) सेवा क्षेत्रों, जैव प्रौद्योगिकी और विद्युत उत्पादन के अन्तर्गत आने वाले सभी एककों का पंजीकरण संबंधित राज्य के संगत अधिनियम/नियमावली, जैसे फैक्टरी अधिनियम, दुकान और स्थापना अधिनियम आदि के तहत होना चाहिए और ये केन्द्र/राज्यों में लागू संगत दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होंगे।

(9) एस.एल.सी. के समक्ष दावे प्रस्तुत करने से पहले एनईडीएफआई को परियोजना लागत के ब्यौरों की जाँच कर लेनी चाहिए, ताकि एस.एल.सी. की बैठकों मे परियोजना पर किए जाने वाले विचार-विमर्श में सहायता प्राप्त हो सके। यदि जरूरत पड़े तो एनईडीएफआई व्यय के ब्यौरों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजों/प्रमाणों की मांग कर सकता है।

(10) एस.एल.सी. राजसहायता संबंधी दावों पर केवल तब ही विचार करेगा जबकि एकक संचालित हो जाए/कार्य करना प्रारम्भ कर दे। राजसहायता संबंधी दावों के साथ-साथ एकक के संचालित होने/कार्य प्रारम्भ कर देने संबंधी एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों पर विचार करने से पहले राज्य सरकार एकक की वास्तविक जांच करेगी।

(11) यदि परियोजना की किसी मद/संघटक के 'अनिवार्य' होने के संबंध में विवाद हो, तो यह मामला औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास भेज दिया जाएगा, जो संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करते हुए इस मामले पर निर्णय लेगा और यह निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

4. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (i) के तहत दिया गया पाद 'टिप्पण' (फुटनोट) हटाया हुआ माना जाए।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.—The Central Government hereby notifies the following Addenda in the Government of India Notification No.10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Interest Subsidy Scheme, 2007'.

2. Under para 4 titled 'Definitions', sub-para (f) (D) shall be inserted as under:

4(f)(D) For the purpose of this Scheme, all units falling under Service Sectors, Bio-technology and Power Generation Industries mentioned in para 3 I, II and III will be treated as 'industrial units'. Since these units are not engaged in any manufacturing activity, the date of their being operational/functional will be treated as the date of commencement of commercial production for the purpose of their eligibility for benefits/incentives under this Scheme.

3. Under para 4 titled 'Definitions', sub-para (f) (E) shall be inserted as under:

4(f)(E) For the purpose of this Scheme in respect of Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries referred to in para 3 I, II and III, the 'components'/ 'items' as indicated below against each sector will be taken into account for determining the eligible amount of subsidy, if any, under this Scheme :

I. SERVICE SECTORS

i. **Hotels (Not below 'Two Star' category):** The cost of construction of building (excluding land) and all the items, except consumables and disposables, which are basic to the running of a hotel.

ii. **Adventure and leisure sports including ropeways:** The entire cost of items/components (excluding land) essential for commissioning the project.

3959 GI/07-2

iii. **Nursing Homes (with a minimum capacity of 25 beds):** The cost of construction of building (excluding land) and other equipments relating to emergency services, general surgery, maternity facilities, pathology, radiology, E.C.G., ambulance, except consumables and disposables.

iv. **Oldage homes:** The cost of construction of building (excluding land) and other equipments for medical care like oxygen cylinders, suction apparatus, wheel chairs, equipments for entertainment like television, video players, computers with internet connections, books, sport-activity items like tennis, table tennis, billiards, card tables etc.

v. **Vocational Training Institutes for :**

- hotel management :
- catering and foodcrafts;
- entrepreneurship development;
- nursing and paramedical;
- civil aviation related training;
- fashion;
- design;
- industrial training

For all these Vocational Training Institutes, the cost of construction of building (excluding land)all instruments, office machines and such other electro-mechanical or electronic appliances/equipments which are directly related to the service rendered including class room equipments, machine room equipments, laboratory equipments and essential furniture and fixtures but excluding disposable items/components, will be taken in account.

II. BIOTECHNOLOGY INDUSTRY:

Equipment, accessories, spares essential for carrying out biotechnical process (s) at laboratory, pilot or commercial scale and the civil infrastructure necessary to adequately have the same shall collectively be defined as "Plant & Machinery" (except the cost of land). It, however, does not include the solvents, chemicals, reagents and other consumables, required for biotechnology process (s).

III. POWER GENERATING INDUSTRIES:

In calculating the value of generating plant and machinery of a power station, the cost of plant and machinery as erected at site and required for plant operation will be taken into account which will include the cost of main plant, any building associated systems, auxiliary equipment, tools and initial spares but excluding the cost of land.

(a) The amount invested in step-up transformer, switch-gear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any,

will be taken into account but does not include any sub-station.

(b) The amount invested in ash disposal system, railway siding at site or merry-go-round system for transport of raw material/fuel or the carriers to the extent they are actually utilized for transport of ash or raw material/fuel or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by a thermal power generation unit.

(c) The amount invested in dam & reservoir regulating system (hoists and gates etc) head and tail water conductor system or EOT crane or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by using water power in a power generating unit.

(d) Working capital including cost of raw material/fuel and other consumables will be excluded for computing the value of plant and machinery.

[Only essential items in the Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries would be admissible for determining the eligible amount of subsidy]

(NOTE:

(1) All transactions in respect of the cost of the project must be through cheque/demand draft.

(2) All expenses/cost of the project submitted by the unit must be certified by a registered Chartered Accountant.

(3) The building plan and the cost of construction of building must be certified by a registered Architect.

(4) The cost of construction of the building should be relatable to the CPWD rates/norms as prescribed from time to time.

(5) The building should not be in violation of the prescribed norms/guidelines by the concerned authority.

(6) If the structure of a particular unit is carved out of a building already existing, only that structure will be taken into account for the purpose of determining the quantum of subsidy. In such cases, the cost of building will not be taken into account. However, expenditure incurred only on the required renovation/conversion of such structure will be taken into account.

(7) Minimum standards prescribed by the concerned authorities should be strictly adhered to for setting up of the units.

(8) All the units under service sectors, bio-technology and power generation must be registered under the relevant Act/Rules etc. of the State concern e.g. Factory Act, Shop and Establishment Act etc.) and will be governed by the relevant guidelines in force in the Centre/ States.

(9) Before submission of the claims to SLC, NEDFi shall scrutinize the details of the cost of the project to facilitate consideration of the project in SLC meetings. If necessary, NEDFi can call for additional documents/evidence in support of the details of expenses.

(10) The subsidy claims will be considered by SLC only after the unit has become operational/functional. A certificate of the unit having become functional/operational must be accompanied with the subsidy claims. The State Government will undertake physical verification of the unit before considering the claims.

(11) In case there is a dispute about an item/ component of the project being 'essential', the matter would be referred to the Department of Industrial Policy and Promotion who will decide the matter in consultation with the concerned Central Ministry/Department and such decision will be final.

4. The footnote under sub para (i) of para 4 titled 'Definitions'. shall stand deleted.

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

सं.10 (3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 'केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2007' नामक शीर्षक की भारत सरकार की 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 10(3)/2007डीबीए-II/एनईआर में निम्नलिखित सूची, जिसमें मुख्य भाग से छूटी सूचनाएं दी गई हैं, को अधिसूचित करती है:-

2. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (छ) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

(छ) इस योजना के प्रयोजनार्थ पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के तहत आने वाली सभी इकाइयों को 'औद्योगिक इकाई' माना जायेगा। चूंकि ये इकाइयां किन्हीं विनिर्माण कार्यकलापों में लगी हुई नहीं हैं अतः इस योजना के अन्तर्गत लाभों/प्रोत्साहनों हेतु उनकी पात्रता के प्रयोजनार्थ उनके संचालित/कार्यशील होने की तिथि उनके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख को माना जायेगा।

3. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (ज) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

(ज) इस योजना के अन्तर्गत पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के बारे में इस योजना के प्रयोजनार्थ पात्र राजसहायता की राशि का निर्धारण करने के लिए, यदि कोई हो, नीचे प्रत्येक क्षेत्र के सामने यथा दर्शाये अनुसार "संघटकों"/"मदों" को ध्यान में रखा जायेगा:

I. सेवा क्षेत्र

(i) **होटल ('दो सितारा' श्रेणी से कम नहीं):** भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और उपभोज्य और प्रयोज्य को छोड़कर सभी मदों की लागत जो होटल चलाने के लिए मूल हैं।

(ii) **रोपवे सहित जोखिम तथा फुरसत के खेल:** परियोजना को शुरू करने के लिए जरूरी मदों/अव्ययों (भूमि के अलावा) की सम्पूर्ण लागत।

(iii) **नर्सिंग होम (न्यूनतम 25 बिस्तरों की क्षमता सहित):** भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और आपात कालीन सेवाओं, सामान्य सर्जरी मातृत्व सुविधाओं, पेथोलोजी, रेडियोलोजी, ई.सी.जी., एम्बुलेंस से संबंधित अन्य उपकरणों की लागत, लेकिन उपभोज्य व प्रयोज्य वस्तुओं को छोड़कर।

(iv) **वृद्धाश्रम:** इमारत के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) और चिकित्सीय देखभाल के अन्य उपकरण जैसे आक्सीजन सिलिंडर्स, चूषण यंत्र, व्हील चेयर्स, मनोरंजन के उपकरण जैसे-टेलीविजन, विडियो प्लेयर्स, इंटरनेट कनेक्शनों सहित कंप्यूटर, पुस्तकें, क्रीड़ा-कार्यकलाप सामग्री जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, विलियर्ड्स, कार्ड टेबल्स आदि।

(v) **निम्नलिखित के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान:**
- होटल प्रबंधन
- कैटरिंग और फूडक्राफ्ट
- उद्यमिता विकास
- नर्सिंग और पैरामेडिकल
- नागर विमानन संबंधी प्रशिक्षण
- फैशन
- डिजाइन
- औद्योगिक प्रशिक्षण

इन सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) सभी उपकरणों, कार्यालय मशीनों और इस तरह की अन्य विद्युत यान्त्रिक अथवा इलेक्ट्रोनिक उपकरणों/साज-सामान की लागत जो सीधे प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित हों और जिनमें कक्षा उपकरणों, मशीन कक्ष उपकरणों, प्रयोगशाला उपकरणों और आवश्यक फर्नीचर तथा फिक्सचर की लागत शामिल है किन्तु उपभोज्य और डिस्पोजेबल सामग्रियों/संघटकों की कीमत शामिल नहीं है, को ध्यान में रखा जायेगा।

II. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग:

प्रयोगशाला में जैव तकनीक प्रक्रिया(ओं) के संचालन हेतु, प्रायोगिक अथवा व्यावसायिक पैमाने पर, आवश्यक उपकरण, सहायक सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे, और उन्हें पर्याप्त रूप से रखने के लिए आवश्यक नागरिक ढांचागत सुविधाओं को सामूहिक रूप से "संयंत्र और मशीनरी" के रूप में परिभाषित किया जायेगा (भूमि की लागत को छोड़कर)। तथापि, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया(ओं) के लिए अपेक्षित विलायक, रसायन, अभिकर्मक और अन्य उपभोज्य इसमें शामिल नहीं हैं।

III. विद्युत जनित्रण करने वाले उद्योग:

विद्युत स्टेशन के जनित्रण करने वाले संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में संयंत्र के संचालन के लिए स्थल पर स्थापित और अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी की लागत को ध्यान में रखा जायेगा, जिसमें भूमि की लागत को छोड़कर, मुख्य संयंत्र, कोई भवन संबद्ध प्रणाली, सहायक उपकरणों, औजारों और प्रारम्भिक अतिरिक्त पुर्जो की लागत शामिल होगी।

(क) स्टेप-अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल या अन्य सम्बद्ध उपकरणों, यदि कोई हों, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा, किन्तु इसमें कोई भी उपकेंद्र शामिल नहीं होगा।

(ख) ऐसी राख (ऐश) निपटान प्रणाली, किसी स्थल पर रेलवे साइडिंग या कच्चे माल/ईंधन को लाने-ले जाने या वहन हेतु मैरी-गो-राउण्ड प्रणाली जिनमें बिजली का उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन एकक द्वारा होता हो, में होने वाले निवेश पर उस सीमा तक ध्यान दिया जाएगा जहां तक वे राख या कच्चे माल/ईंधन अथवा अन्य सम्बद्ध उपकरण, यदि कोई हों, को लाने-ले जाने हेतु वास्तव में प्रयोग किए जाते हों।

(ग) ऐसी बांध और जलाशय विनियमन प्रणाली (हॉइस्ट और गेट आदि), हेड एण्ड टेल जल संचालक प्रणाली या ई.ओ.टी. क्रेन अथवा अन्य उपकरण, यदि कोई हों, जिनमें बिजली का उत्पादन विद्युत उत्पादन एकक में जल शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता हो, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा।

(घ) संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में कार्यशील पूंजी, जिसमें कच्चे माल/ईंधन और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की लागत शामिल हैं, को छोड़ दिया जाएगा।

{राजसहायता हेतु पात्र राशि का निर्धारण करने के लिए केवल सेवा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और विद्युत सृजन उद्योगों की अनिवार्य मदों को स्वीकृति दी जाएगी}

टिप्पण :

(1) परियोजना की लागत से संबंधित सभी हस्तान्तरण चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से होने चाहिए।

(2) एकक द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना के सभी खर्चे/लागत एक पंजीकृत चार्टेड अकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित होने चाहिएं।

(3) भवन निर्माण की योजना और भवन निर्माण की लागत एक पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

(4) भवन निर्माण की लागत सी.पी.डब्ल्यू.डी. के समय-समय पर यथा-निर्धारित मूल्यों/मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।

(5) भवन निर्माण सम्बद्ध प्राधिकरण के निर्धारित मानदण्डों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए।

(6) यदि किसी एकक विशेष के ढाँचे का निर्माण पहले से ही मौजूद किसी भवन में से ही किया जाए तो ऐसे में राजसहायता की मात्रा का निर्धारण करते समय केवल उस ढाँचे पर ही ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भवन की लागत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हाँलाकि ऐसे ढाँचे में केवल अपेक्षित नवीकरण/परिवर्तन पर किए गए व्यय पर ध्यान दिया जाएगा।

(7) एकक स्थापित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।

(8) सेवा क्षेत्रों, जैव प्रौद्योगिकी और विद्युत उत्पादन के अन्तर्गत आने वाले सभी एककों का पंजीकरण संबंधित राज्य के संगत अधिनियम/नियमावली, जैसे फैक्टरी अधिनियम, दुकान और स्थापना अधिनियम आदि के तहत होना चाहिए और ये केन्द्र/राज्यों में लागू संगत दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होंगे।

(9) एस.एल.सी. के समक्ष दावे प्रस्तुत करने से पहले एनईडीएफआई को परियोजना लागत के ब्यौरों की जाँच कर लेनी चाहिए, ताकि एस.एल.सी. की बैठकों में परियोजना पर किए जाने वाले विचार-विमर्श में सहायता प्राप्त हो सके। यदि जरूरत पड़े तो एनईडीएफआई व्यय के ब्यौरों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजों/प्रमाणों की मांग कर सकता है।

(10) एस.एल.सी. राजसहायता संबंधी दावों पर केवल तब ही विचार करेगा जबकि एकक संचालित हो जाए/कार्य करना प्रारम्भ कर दे। राजसहायता संबंधी दावों के साथ-साथ एकक के संचालित होने/कार्य प्रारम्भ कर देने संबंधी एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों पर विचार करने से पहले राज्य सरकार एकक की वास्तविक जांच करेगी।

(11) यदि परियोजना की किसी मद/संघटक के 'अनिवार्य' होने के संबंध में विवाद हो, तो यह मामला औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास भेज दिया जाएगा, जो संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करते हुए इस मामले पर निर्णय लेगा और यह निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

4. दिनांक 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना के पैरा स. 6(क) के तहत दिया गया पादटिप्पण (फुटनोट) हटाया हुआ माना जाए।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.— The Central Government hereby notifies the following Addenda in the Government of India Notification No.10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2007'.

2. Under para 4 titled 'Definitions', sub-para (g) shall be inserted as under:

(g) For the purpose of this Scheme, all units falling under Service Sectors, Bio-technology and Power Generation Industries mentioned in para 3 I, II and III will be treated as 'industrial units'. Since these units are not engaged in any manufacturing activity, the date of their being operational/functional will be treated as the date of commencement of commercial production for the purpose of their eligibility for benefits/incentives under this Scheme.

3. Under para 4 titled 'Definitions', sub-para (h) shall be inserted as under:

(h) For the purpose of this Scheme in respect of Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries referred to in para 3 I, II and III, the 'components'/ 'items' as indicated below against each sector will be taken into account for determining the eligible amount of subsidy, if any, under this Scheme :

I. <u>SERVICE SECTORS</u>

(i) **Hotels (Not below 'Two Star' category):** The cost of construction of building (excluding land) and all the items, except consumables and disposables, which are basic to the running of a hotel.

(ii) **Adventure and leisure sports including ropeways:** The entire cost of items/components (excluding land) essential for commissioning the project.

(iii) **Nursing Homes (with a minimum capacity of 25 beds):** The cost of construction of building (excluding land) and other equipments relating to emergency services, general surgery, maternity facilities, pathology, radiology, E.C.G., ambulance, except consumables and disposables.

(iv) **Oldage homes:** The cost of construction of building (excluding land) and other equipments for medical care like oxygen cylinders, suction apparatus, wheel chairs, equipments for entertainment like television, video players, computers with internet connections, books, sport-activity items like tennis, table tennis, billiards, card tables etc.

(v) **Vocational Training Institutes for :**

- hotel management :
- catering and foodcrafts:
- entrepreneurship development:
- nursing and paramedical:
- civil aviation related training:
- fashion:
- design:
- industrial training

For all these Vocational Training Institutes, the cost of construction of building (excluding land)all instruments, office machines and such other electro-mechanical or electronic appliances/equipments which are directly related to the service rendered including class room equipments, machine room equipments, laboratory equipments and essential furniture and fixtures but excluding consumables & disposable items/components, will be taken in account.

II. BIOTECHNOLOGY INDUSTRY:

Equipment, accessories, spares essential for carrying out biotechnical process (s) at laboratory, pilot or commercial scale and the civil infrastructure necessary to adequately have the same shall collectively be defined as "Plant & Machinery" (except the cost of land). It, however, does not include the solvents, chemicals, reagents and other consumables and disposables, required for biotechnology process (s).

III. POWER GENERATING INDUSTRIES:

In calculating the value of generating plant and machinery of a power station, the cost of plant and machinery as erected at site and required for plant operation will be taken into account which will include the cost of main plant, any building associated systems, auxiliary equipment, tools and initial spares but excluding the cost of land.

(a) The amount invested in step-up transformer, switch-gear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any, will be taken into account but does not include any sub-station.

(b) The amount invested in ash disposal system, railway siding at site or merry-go-round system for transport of raw material/fuel or the carrier to the extent they are actually utilized for transport of ash or raw material/fuel or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by a thermal power generation unit.

(c) The amount invested in dam & reservoir regulating system (hoists and gates etc) head and tail water conductor system or EOT crane or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by using water power in a power generating unit.

(d) Working capital including cost of raw material/fuel and other consumables will be excluded for computing the value of plant and machinery.

[Only essential items in the Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries would be admissible for determining the eligible amount of subsidy]

(NOTE:

(1) All transactions in respect of the cost of the project must be through cheque/demand draft.

(2) All expenses/cost of the project submitted by the unit must be certified by a registered Chartered Accountant.

(3) The building plan and the cost of construction of building must be certified by a registered Architect.

(4) The cost of construction of the building should be relatable to the CPWD rates/norms as prescribed from time to time.

(5) The building should not be in violation of the prescribed norms/guidelines by the concerned authority.

(6) If the structure of a particular unit is carved out of a building already existing, only that structure will be taken into account for the purpose of determining the quantum of subsidy. In such cases, the cost of building will not be taken into account. However, expenditure incurred only on the required renovation/conversion of such structure will be taken into account.

(7) Minimum standards prescribed by the concerned authorities should be strictly adhered to for setting up of the units.

(8) All the units under service sectors, bio-technology and power generation must be registered under the relevant Act/Rules etc. of the State concern e.g. Factory Act, Shop and Establishment Act etc.) and will be governed by the relevant guidelines in force in the Centre/ States.

(9) Before submission of the claims to SLC, NEDFi shall scrutinize the details of the cost of the project to facilitate consideration of the project in SLC meetings. If necessary, NEDFi can call for additional documents/evidence in support of the details of expenses.

(10) The subsidy claims will be considered by SLC only after the unit has become operational/functional. A certificate of the unit having become functional/operational must be accompanied with the subsidy claims. The State Government will undertake physical verification of the unit before considering the claims.

(11) In case there is a dispute about an item/ component of the project being 'essential', the matter would be referred to the Department of Industrial Policy and Promotion who will decide the matter in consultation with the concerned Central Ministry/Department and such decision will be final.

4. The footnote under Para 6(a) of the Notification dated 27th July, 2007, shall stand deleted.

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

सं.10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर.—केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 'केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2007' नामक शीर्षक की भारत सरकार की 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 10(3)/2007डीबीए-II/एनईआर में निम्नलिखित सूची, जिसमें मुख्य भाग से छूटी सूचनाएं दी गई हैं, को अधिसूचित करती है:-

2. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के अन्तर्गत उप पैरा (ङ) और (च) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जायेगा:-

(ङ) इस योजना के प्रयोजनार्थ पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के तहत आने वाली सभी इकाइयों को 'औद्योगिक इकाई' माना जायेगा। चूंकि ये इकाइयां किन्हीं विनिर्माण कार्यकलापों में लगी हुई नहीं हैं अतः इस योजना के अन्तर्गत लाभों/प्रोत्साहनों हेतु उनकी पात्रता के प्रयोजनार्थ उनके संचालित/कार्यशील होने की तिथि उनके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख को माना जायेगा।

(च) इस योजना के अन्तर्गत पैरा 3 I, II और III में उल्लिखित सेवा क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग तथा विद्युत उत्पादन उद्योग के बारे में इस योजना के प्रयोजनार्थ पात्र राजसहायता की राशि का निर्धारण करने के लिए, यदि कोई हो, नीचे प्रत्येक क्षेत्र के सामने यथा दर्शाये अनुसार "संघटकों"/"मदों" को ध्यान में रखा जायेगा:

I. सेवा क्षेत्र

(i) **होटल ('दो सितारा' श्रेणी से कम नहीं)**: भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और उपभोज्य और प्रयोज्य को छोड़कर सभी मदों की लागत जो होटल चलाने के लिए मूल हैं।

(ii) **रोपवे सहित जोखिम तथा फुरसत के खेल:** परियोजना को शुरू करने के लिए जरूरी मदों/अव्ययों (भूमि के अलावा) की सम्पूर्ण लागत।

(iii) **नर्सिंग होम (न्यूनतम 25 बिस्तरों की क्षमता सहित):** भवन निर्माण (भूमि के अलावा) और आपात कालीन सेवाओं, सामान्य सर्जरी मातृत्व सुविधाओं, पेथोलोजी, रेडियोलोजी, ई.सी.जी., एम्बुलेंस से संबंधित अन्य उपकरणों की लागत, लेकिन उपभोज्य व प्रयोज्य वस्तुओं को छोड़कर।

(iv) **वृद्धाश्रम:** इमारत के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) और चिकित्सीय देखभाल के अन्य उपकरण जैसे आक्सीजन सिलिंडर्स, चूषण यंत्र, व्हील चेयर्स, मनोरंजन के उपकरण जैसे-टेलीविजन, विडियो प्लेयर्स, इंटरनेट कनेक्शनों सहित कंप्यूटर, पुस्तकें, क्रीड़ा-कार्यकलाप सामग्री जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, कार्ड टेबल्स आदि।

(v) **निम्नलिखित के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान:**

- होटल प्रबंधन
- कैटरिंग और फूडक्राफ्ट
- उद्यमिता विकास
- नर्सिंग और पैरामेडिकल
- नागर विमानन संबंधी प्रशिक्षण
- फैशन
  डिजाइन
- औद्योगिक प्रशिक्षण

इन सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन के निर्माण की लागत (भूमि को छोड़कर) सभी उपकरणों, कार्यालय मशीनों और इस तरह की अन्य विद्युत यान्त्रिक अथवा इलेक्ट्रोनिक उपकरणों/साज-सामान की लागत जो सीधे प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित हों और जिनमें कक्षा उपकरणों, मशीन कक्ष उपकरणों, प्रयोगशाला उपकरणों और आवश्यक फर्नीचर तथा फिक्सचर की लागत शामिल है किन्तु उपभोज्य और डिस्पोजेबल सामग्रियों/संघटकों की कीमत शामिल नहीं है, को ध्यान में रखा जायेगा।

II. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग:

प्रयोगशाला में जैव तकनीक प्रक्रिया(ओं) के संचालन हेतु, प्रायोगिक अथवा व्यावसायिक पैमाने पर, आवश्यक उपकरण, सहायक सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे, और उन्हें पर्याप्त रूप से रखने के लिए आवश्यक नागरिक ढांचागत सुविधाओं

को सामूहिक रूप से "संयंत्र और मशीनरी" के रूप में परिभाषित किया जायेगा (भूमि की लागत को छोड़कर)। तथापि, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया(ओं) के लिए अपेक्षित विलायक, रसायन, अभिकर्मक और अन्य उपभोज्य इसमें शामिल नहीं हैं।

III. विद्युत जनित्रण करने वाले उद्योगः

"विद्युत स्टेशन के जनित्रण करने वाले संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में संयंत्र के संचालन के लिए स्थल पर स्थापित और अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी की लागत को ध्यान में रखा जायेगा, जिसमें भूमि की लागत को छोड़कर, मुख्य संयंत्र, कोई भवन संबद्ध प्रणाली, सहायक उपकरणों, औजारों और प्रारम्भिक अतिरिक्त पुर्जों की लागत शामिल होगी।

(i) स्टेप-अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल या अन्य सम्बद्ध उपकरणों, यदि कोई हों, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा, किन्तु इसमें कोई भी उपकेंद्र शामिल नहीं होगा।

(ii) ऐसी राख (ऐश) निपटान प्रणाली, किसी स्थल पर रेलवे साइडिंग या कच्चे माल/ईंधन को लाने-ले जाने या वहन हेतु मैरी-गो-राउण्ड प्रणाली जिनमें बिजली का उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन एकक द्वारा होता हो, में होने वाले निवेश पर उस सीमा तक ध्यान दिया जाएगा जहां तक वे राख या कच्चे माल/ईंधन अथवा अन्य सम्बद्ध उपकरण, यदि कोई हों, को लाने-ले जाने हेतु वास्तव में प्रयोग किए जाते हों।

(iii) ऐसी बांध और जलाशय विनियमन प्रणाली (हॉइस्ट और गेट आदि), हेड एण्ड टेल जल संचालक प्रणाली या ई.ओ.टी. क्रेन अथवा अन्य उपकरण, यदि कोई हों, जिनमें बिजली का उत्पादन विद्युत उत्पादन एकक में जल शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता हो, में निवेश की गई राशि पर ध्यान दिया जाएगा।"

(iv) संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करने में कार्यशील पूंजी, जिसमें कच्चे माल/ईंधन और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की लागत शामिल हैं, को छोड़ दिया जाएगा।

{राजसहायता हेतु पात्र राशि का निर्धारण करने के लिए केवल सेवा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और विद्युत सृजन उद्योगों की अनिवार्य मदों को स्वीकृति दी जाएगी}

टिप्पण :

(1) परियोजना की लागत से संबंधित सभी हस्तान्तरण चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से होने चाहिए।

(2) एकक द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना के सभी खर्चे/लागत एक पंजीकृत चार्टेड अकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित होने चाहिएं।

(3) भवन निर्माण की योजना और भवन निर्माण की लागत एक पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

(4) भवन निर्माण की लागत सी.पी.डब्ल्यू.डी. के समय-समय पर यथा-निर्धारित मूल्यों/मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।

(5) भवन निर्माण सम्बद्ध प्राधिकरण के निर्धारित मानदण्डों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए।

(6) यदि किसी एकक विशेष के ढाँचे का निर्माण पहले से ही मौजूद किसी भवन में से ही किया जाए तो ऐसे में राजसहायता की मात्रा का निर्धारण करते समय केवल उस ढाँचे पर ही ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भवन की लागत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हाँलाकि ऐसे ढाँचे में केवल अपेक्षित नवीकरण/परिवर्तन पर किए गए व्यय पर ध्यान दिया जाएगा।

(7) एकक स्थापित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।

(8) सेवा क्षेत्रों, जैव प्रौद्योगिकी और विद्युत उत्पादन के अन्तर्गत आने वाले सभी एककों का पंजीकरण संबंधित राज्य के संगत अधिनियम/नियमावली, जैसे फैक्टरी अधिनियम, दुकान और स्थापना अधिनियम आदि के तहत होना चाहिए और ये केन्द्र/राज्यों में लागू संगत दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होंगे।

(9) एस.एल.सी. के समक्ष दावे प्रस्तुत करने से पहले एनईडीएफआई को परियोजना लागत के ब्यौरों की जाँच कर लेनी चाहिए, ताकि एस.एल.सी. की बैठकों में परियोजना पर किए जाने वाले विचार-विमर्श में सहायता प्राप्त हो सके। यदि जरूरत पड़े तो एनईडीएफआई व्यय के ब्यौरों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजों/प्रमाणों की मांग कर सकता है।

(10) एस.एल.सी. राजसहायता संबंधी दावों पर केवल तब ही विचार करेगा जबकि एकक संचालित हो जाए/कार्य करना प्रारम्भ कर दे। राजसहायता संबंधी दावों के साथ-साथ एकक के संचालित होने/कार्य प्रारम्भ कर देने संबंधी एक प्रमाणपत्र भी

प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों पर विचार करने से पहले राज्य सरकार एकक की वास्तविक जांच करेगी।

(11) यदि परियोजना की किसी मद/संघटक के 'अनिवार्य' होने के संबंध में विवाद हो, तो यह मामला औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास भेज दिया जाएगा, जो संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करते हुए इस मामले पर निर्णय लेगा और यह निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

4. पैरा 4 'परिभाषा' शीर्षक के तहत दिया गया पाद 'टिप्पण' (फुटनोट) हटाया हुआ माना जाए।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2007

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.— The Central Government hereby notifies the following Addenda in the Government of India Notification No.10(3)/2007-DBA-II/NER dated the 27th July, 2007 titled 'Central Comprehensive Insurance Scheme, 2007'.

2. Under para 4 titled 'Definitions', sub-paras (e) & (f) shall be inserted as under:

(e) For the purpose of this Scheme, all units falling under Service Sectors, Bio-technology and Power Generation Industries mentioned in para 3 I, II and III will be treated as 'industrial units'. Since these units are not engaged in any manufacturing activity, the date of their being operational/functional will be treated as the date of commencement of commercial production for the purpose of their eligibility for benefits/incentives under this Scheme.

(f) For the purpose of this Scheme in respect of Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries referred to in para 3 I, II and III, the 'components'/ 'items' as indicated below against each sector will be taken into account for determining the eligible amount of subsidy, if any, under this Scheme :

I. SERVICE SECTORS

(i) Hotels (Not below 'Two Star' category): The cost of construction of building (excluding land) and all the items, except consumables and disposables, which are basic to the running of the hotel.

(ii) Adventure and leisure sports including ropeways: The entire cost of items/components (excluding land) essential for commissioning the project.

(iii) Nursing Homes (with a minimum capacity of 25 beds): The cost of construction of building (excluding land) and other equipments relating to emergency services, general surgery, maternity facilities, pathology, radiology, E.C.G., ambulance, except consumables and disposables.

(iv) **Oldage homes:** The cost of construction of building (excluding land) and other equipments for medical care like oxygen cylinders, suction apparatus, wheel chairs, equipments for entertainment like television, video players, computers with internet connections, books, sport-activity items like tennis, table tennis, billiards, card tables etc.

(v) **Vocational Training Institutes for :**

- hotel management :
- catering and foodcrafts:
- entrepreneurship development:
- nursing and paramedical:
- civil aviation related training:
- fashion:
- design:
- industrial training

For all these Vocational Training Institutes, the cost of construction of building (excluding land)all instruments, office machines and such other electro-mechanical or electronic appliances/equipments which are directly related to the service rendered including class room equipments, machine room equipments, laboratory equipments and essential furniture and fixtures but excluding disposable items/components, will be taken in account.

II. BIOTECHNOLOGY INDUSTRY:

Equipment, accessories, spares essential for carrying out biotechnical process (s) at laboratory, pilot or commercial scale and the civil infrastructure necessary to adequately have the same shall collectively be defined as "Plant & Machinery" (except the cost of land). It, however, does not include the solvents, chemicals, reagents and other consumables, required for biotechnology process (s).

III. POWER GENERATING INDUSTRIES:

In calculating the value of generating plant and machinery of a power station. the cost of plant and machinery as erected at site and required for plant operation will be taken into account which will include the cost of main plant, any building associated systems, auxiliary equipment, tools and initial spares but excluding the cost of land.

i. The amount invested in step-up transformer, switch-gear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any, will be taken into account but does not include any sub-station.

ii. The amount invested in ash disposal system, railway siding at site or merry-go-round system for transport of raw material/fuel or the carriers to the extent they are actually utilized for transport of ash or raw material/fuel or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by a thermal power generation unit.

iii. The amount invested in dam & reservoir regulating system (hoists and gates etc) head and tail water conductor system or EOT crane or other appurtenant equipment if any, will be taken into account where electricity is generated by using water power in a power generating unit.

iv. Working capital including cost of raw material/fuel and other consumables will be excluded for computing the value of plant and machinery.

[Only essential items in the Service Sector, Bio-technology Industry and Power Generating Industries would be admissible for determining the eligible amount of subsidy]

(NOTE:

(1) All transactions in respect of the cost of the project must be through cheque/demand draft.

(2) All expenses/cost of the project submitted by the unit must be certified by a registered Chartered Accountant.

(3) The building plan and the cost of construction of building must be certified by a registered Architect.

(4) The cost of construction of the building should be relatable to the CPWD rates/norms as prescribed from time to time.

(5) The building should not be in violation of the prescribed norms/guidelines by the concerned authority.

(6) If the structure of a particular unit is carved out of a building already existing, only that structure will be taken into account for the purpose of determining the quantum of subsidy. In such cases, the cost of building will not be taken into account. However, expenditure incurred only on the required renovation/conversion of such structure will be taken into account.

(7) Minimum standards prescribed by the concerned authorities should be strictly adhered to for setting up of the units.

(8) All the units under service sectors, bio-technology and power generation must be registered under the relevant Act/Rules etc. of the State concern e.g. Factory Act, Shop and Establishment Act etc.) and will be governed by the relevant guidelines in force in the Centre/ States.

(9) Before submission of the claims to SLC, NEDFi shall scrutinize the details of the cost of the project to facilitate consideration of the project in SLC meetings. If necessary, NEDFi can call for additional documents/evidence in support of the details of expenses. This procedure would apply on those projects the cost of which exceeds Rs. 1 crore but does not exceed Rs. 30 crore.

(10) The subsidy claims will be considered by SLC only after the unit has become operational/functional. A certificate of the unit having become functional/operational must be accompanied with the subsidy claims. The State Government will undertake physical verification of the unit before considering the claims.

(11) In case there is a dispute about an item/ component of the project being 'essential', the matter would be referred to the Department of Industrial Policy and Promotion who will decide the matter in consultation with the concerned Central Ministry/Department and such decision will be final.

4. The footnote under para 4 titled 'Definitions', shall stand deleted.

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054